न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 964-दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-1-2007 - पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 78/1998-99 अपील

दिनेश कुमार पुत्र मबशिया
ग्राम बिहटा तहसील नागौद जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- प्रयागलाल पुत्र कताहुर
2- विजय पुत्र कताहुर
ग्राम विहटा तहसील नागौद जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण 78/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-1-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने नायव तहसीलदार उप तहसील उचेहरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम विहटा की पैत्रिक भूमि (जो नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-7-95 में अंकित है एंव आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के बटवारे की मांग की । नायव

तहसीलदार उप तहसील उचेहरा तहसील नागौद ने प्रकरण कमांक 3/1994-95 अ-27 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31-7-1995 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, नागौद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 167/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-1998 से अपील स्वीकार करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-7-95 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 78/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-1-2007 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी नागौद का आदेश दिनांक 31-5-95 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के कम में अनुविभागीय अधिकारी नागौद के आदेश दिनांक 30.12.98 में निकाले गये निष्कर्षो पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार द्वारा किये गये बटवारे को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रश्नाधीन आराजियातों के भूमिस्वामी कताहुर एंव दिनेश कुमार है जो प्रयागलाल कताहुर के पुत्र है उसे केवल पिता की भूमियों में बटवारा कराने का अधिकार है। खाते में प्रयाग लाल सहखातेदार नहीं था इसके वाद भी विभाजन किया गया है इसलिये नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 9-1-07 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-12-98 में निकाले गये निष्कर्षो को इसलिये दोषपूर्ण माना है क्योंकि मृतक रिस्पा. कताहुर, अपीलार्थी क-1 तथा रिस्पा. कमांक 2 व 3 का पिता है और कताहुर ने विचारण न्यायालय में दिनांक 11-9-95 को यह स्वीकार किया है कि प्रयागलाल मेरी व्याहता पत्नि का लड़का है तथा पूरी जमीन मेरे पिता की है और मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में बटवारा नहीं कर गये

थे लेकिन मौखिक कहा था कि विहटा में कोरियान स्थित आराजी को मेरे पिता ने मुझे दिया और दिनेश को बदरहा बांध 10 कुरई का दिया तथा प्रयागलाल को 2-4 कुरई की भूमि ज्यादा देना कहा था तथा कुआ पंप भी प्रयागलाल को दे रखा है। स्पष्ट है कि मृतक रिस्पाण्डेन्ट कताहुर के पिता ने मौखिक रूप से पूर्व में विभाजन किया है। नायव तहसीलदार ने तद्नुसार ही आदेश दिनांक 31-7-1995 से बटवारा किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है क्योंकि पिता द्वारा पूर्व में किया गया घरेलू बटवारा अमान्य नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण 78/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-1-2007 में निकाले गये निष्कर्ष उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण 78/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-1-2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर